हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय
HARIDEV JOSHI UNIVERSITY OF JOURNALISM AND MASS COMMUNICATION

क्रमांकः प.2(49)एचजेयू/प्रशा./मीटिंग/प्र.बो.–वि.बै.-III/2023/ 2051 **दिनांकः** 6.7.2023

प्रबन्ध बोर्ड की ऑनलाइन विशेष बैठक–तृतीय 14.06.2023 का कार्यवृत्त

हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय, जयपुर अधिनियम 2019 की धारा 23 के अन्तर्गत गठित विश्वविद्यालय के प्रबंध बोर्ड की विशेष बैठक–तृतीय दिनांक 14.06.2023 को प्रातः 11:30 बजे **ऑनलाइन** आयोजित की गई। बैठक में प्रबंध बोर्ड के उपस्थित पदाधिकारियों का विवरण निम्नानुसार है :–

क्र.सं.	उपस्थित पदाधिकारी का नाम	पदनाम
1	प्रो. सुधि राजीव	कुलपति एवं अध्यक्ष प्रबंध बोर्ड, एचजेयू, जयपुर
2	श्री सुमेर सिंह	कोषाधिकारी, जयपुर शहर (अतिरिक्त मुख्यसचिव, वित्त विभाग द्वारा नामनिर्देशित), एवं सदस्य, प्रबंध बोर्ड, एचजेयू, जयपुर
3	डॉ. फिरोज अख्तर	संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा (ग्रुप–4) विभाग, (प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग द्वारा नामनिर्देशित), एवं सदस्य, प्रबंध बोर्ड, एचजेयू, जयपुर **ऑनलाइन सहभागिता**
4	श्रीमती अलका सक्सेना	अतिरिक्त निदेशक, डीआईपीआर (अतिरिक्त मुख्य सचिव, सूचना और जनसम्पर्क विभाग द्वारा नामनिर्देशित), एवं सदस्य, प्रबंध बोर्ड, एचजेयू, जयपुर **ऑनलाइन सहभागिता**
5	श्री सुनील शर्मा	आयुक्त, महाविद्यालय शिक्षा, राजस्थान सरकार एवं सदस्य, प्रबंध बोर्ड, एचजेयू, जयपुर **ऑनलाइन सहभागिता**
6	प्रो. अनिल कुमार राय	कुलाधिपति महोदय द्वारा नामनिर्देशित शिक्षाविद् सदस्य, प्रबंध बोर्ड, एचजेयू, जयपुर **ऑनलाइन सहभागिता**

कुलसचिव
हरिदेव जोशी पत्रकारिता
और जनसंचार विश्वविद्यालय
जयपुर (राजस्थान)

7	डॉ. ऋचा यादव	कुलपति महोदय द्वारा नामनिर्देशित संकायाध्यक्ष, एचजेयू, जयपुर **ऑनलाइन सहभागिता**
8	डॉ. अनिल कुमार मिश्र	कुलपति महोदय द्वारा नामनिर्देशित संकायाध्यक्ष, एचजेयू, जयपुर **ऑनलाइन सहभागिता**
9	श्री अयूब खान	कुलसचिव, एचजेयू एवं सदस्य सचिव, प्रबंध बोर्ड, एचजेयू, जयपुर
10	डॉ. सत्येन्द्र बसवाल	वित्त नियंत्रक, एचजेयू एवं विशेष आमंत्रित सदस्य
11	डॉ. आलोक कुमार श्रीवास्तव	परीक्षा नियंत्रक, एचजेयू एवं विशेष आमंत्रित सदस्य

बैठक का आरंभ कुलपति प्रो. सुधि राजीव के द्वारा सभी सदस्यों के अभिवादन, स्वागत एवं परिचय से किया गया। बोर्ड के सदस्यों ने विशेष आमंत्रित सदस्यों की उपस्थिति का संज्ञान लिया।

तत्पश्चात विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 24 में उल्लिखित प्रबंध बोर्ड के कृत्यों/शक्तियों के अनुसार बैठक में कार्यसूची (एजेंडा) पर बिन्दुवार विस्तृत विचार–विमर्श किया गया। बैठक में पारित निर्णयों/संकल्पों का कार्यसूची वार विवरण निम्नानुसार है :–

कार्यसूची संख्या	कार्य का संक्षिप्त विवरण
विशेष-III-1	राज्य सरकार से प्राप्त पत्रांक प.14(2)शिक्षा–4/ 2023 जयपुर, दिनांक 16.05.2023 एवं वित्त (बजट) नियम विभाग से प्राप्त पत्र प.13(12)वित्त (नियम)/2021 जयपुर, दिनांक 20.04.2023 के संबंध में विश्वविद्यालय में पुरानी पेंशन स्कीम (Old Pension Scheme-OPS) अंगीकृत/क्रियान्वित किए जाने के लिए निम्नानुसार प्रस्ताव विचार एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत हैः A. विश्वविद्यालय के स्थाई कार्मिकों/शिक्षकों के लिए पुरानी पेंशन योजना (OPS) लागू किए जाने के अनुमोदन हेतु प्रस्ताव – 1 1. विश्वविद्यालय के स्थाई कार्मिकों/शिक्षकों के लिए पुरानी पेंशन योजना (OPS) लागू किए जाने के अनुमोदन हेतु प्रस्ताव – 1.1

कुलसचिव
हरिदेव जोशी पत्रकारिता
और जनसंचार विश्वविद्यालय

2. हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय जयपुर पेंशन विनियम 2023 एवं अधिनियम 2023 बनवाए जाने के अनुमोदन हेतु प्रस्ताव – 1.2
3. हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय के कर्मचारी सामान्य प्रावधायी निधि नियम 2023 बनवाए जाने के अनुमोदन हेतु प्रस्ताव – 1.3
4. उक्त प्रावधानों के अन्तर्गत संबंधित सेवारत एवं सेवानिवृत कर्मचारियों से प्राप्त राशि को राज्य सरकार के पीडी खाते पेंशन निधि में एवं GPF SAB में जमा करवाए जाने के अनुमोदन हेतु प्रस्ताव – 1.4

व्याख्यात्मक नोटः–

हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय की स्थापना मार्च, 2019 में हुई है। विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 32 की उप धारा 3 की अनुपालना में पूर्ववर्ती हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय में नियुक्त एवं राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर में समायोजित 01 आचार्य, 01 सह आचार्य एवं 06 सहायक आचार्य को इस विश्वविद्यालय में स्थानान्तरित किया गया था।

उक्त शिक्षकों में से एक आचार्य नवम्बर, 2019 में अधिवार्शिकी आयु पूर्ण कर सेवानिवृत्त हो चुके है तथा वर्तमान में एक सह आचार्य एवं 06 सहायक आचार्य स्थायी रूप से कार्यरत हैं।

राज्य सरकार द्वारा विश्वविद्यालय को स्वीकृत अन्य शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक पद वर्तमान में रिक्त हैं तथा इन पदों पर नियमित भर्ती प्रक्रियाधीन है। अतः विश्वविद्यालय द्वारा पुरानी पेंशन स्कीम (Old Pension Scheme – OPS) अंगीकृत / क्रियान्वित किया जाना प्रस्तावित है।

संकल्प / निर्णय :

1. राज्य सरकार के वित्त विभाग से प्राप्त 02 आदेश क्रमांक प.13(12)वित्त (नियम)/2021 दिनांक 20.04.2023 के क्रम में पुरानी पेंशन योजना लागू करने हेतु दिशा निर्देश जो कि राज्य सरकार के शिक्षा ग्रुप–4 विभाग द्वारा प्रेषित है, को लागू किए जाने एवं विश्वविद्यालय के स्थाई कार्मिकों/शिक्षकों के लिए पुरानी पेंशन योजना लागू किए जाने के प्रस्ताव का विचार विमर्श कर अनुमोदन किया गया।
   पुरानी पेंशन योजना में समाहित कम्यूटेशन के प्रावधानों पर विचार किया गया, जिस पर विश्वविद्यालय की वित्तीय स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए कम्यूटेशन के प्रावधानों को फिलहाल लागू नहीं किए जाने का निर्णय किया गया तथा इस निर्णय की पुष्टि हेतु राज्य सरकार को पत्र लिखने का निर्णय लिया गया।

कुलसचिव
हरिदेव जोशी पत्रकारिता
और जनसंचार विश्वविद्यालय

	2. प्रस्ताव 1.2 के संबंध में हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय जयपुर पेंशन नियम बनाने के प्रस्ताव का विचार विमर्श कर अनुमोदन किया गया। 3. प्रस्ताव 1.2 में सहवनवश अधिनियम शब्द अंकित हो गया है, जिसे सदस्यों के सुझाव अनुसार नियम लिखकर दर्ज किया जा रहा है। 4. प्रस्ताव 1.3 के संबंध में हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय जयपुर के कर्मचारी सामान्य प्रावधायी निधि नियम बनाने के प्रस्ताव का विचार विमर्श कर अनुमोदन किया गया। 5. प्रस्ताव 1.4 के संबंध में हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय जयपुर के सेवारत एवं सेवानिवृत कर्मचारियों से प्राप्त राशि राज्य सरकार के पी.डी खाते पैंशन निधि में एवं GPF SAB में जमा कराने के प्रस्ताव का विचार विमर्श कर अनुमोदन किया गया। 6. डॉ. अनिल कुमार मिश्र व डॉ. रतन सिंह शेखावत से प्राप्त ज्ञापन दिनांक 09.06.2023 को आवश्यक कार्यवाही हेतु राज्य सरकार को प्रेषित किए जाने का अनुमोदन किया गया।

सुधि राजीव

(प्रो. सुधि राजीव)
कुलपति

कुलपति
हरिदेव जोशी पत्रकारिता
और जनसंचार विश्वविद्यालय
जयपुर (राजस्थान)

(अयूब खान)
RAS
कुलसचिव

कुलसचिव
हरिदेव जोशी पत्रकारिता
और जनसंचार विश्वविद्यालय
जयपुर (राजस्थान)